

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28072020-220719  
SG-DL-E-28072020-220719

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]	दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/श्रावण 5, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं.73
No. 137]	DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SHRAVANA 5, 1942	[N.C.T.D. No. 73

भाग III  
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग  
अधिसूचना  
दिल्ली, 23 जुलाई, 2020

विषय : राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन

स. एफ. 7(37)/डी.ई.आर.सी./डी.एस./2016-17/खंड-V/सी.एफ. स. 5624/253.—दिनांक 22 मार्च, 2018 की पिछली अधिसूचना क्रमांक सं. एफ. 7(37)/डी.ई.आर.सी./डी.एस./2016-17/खंड-V/सी.एफ. सं. 5624/2927 का अतिक्रमण करते हुए और विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 87 में निहित शक्ति का उपयोग करते हुए, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए "राज्य सलाहकार समिति" का अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के लिए गठन करता है, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं:—

i.	अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
ii.	सदस्य, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग	पदेन सदस्य

iii.	सदस्य, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग	पदेन सदस्य
iv.	सचिव (पावर), दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	पदेन सदस्य
v.	सचिव-सह-आयुक्त, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	पदेन सदस्य
vi.	निदेशक (इलेक्ट्रिकल), डीएमआरसी	सदस्य
vii.	डॉ. आर. के. बजाज, वैज्ञानिक-जी एंड डीडीजी (मानक) महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो	सदस्य
viii.	मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिकल), एमसीडी (बारी-बारी से रोटेशन में)	सदस्य
ix.	श्री अरुण त्रिपाठी, महानिदेशक, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान	सदस्य
x.	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.इ.इ.) या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
xi.	डॉ. जी. सी. दत्ता राँय, सलाहकार, डी.ई.एस.ल.	सदस्य
xii.	मुख्य अभियंता, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
xiii.	सी.ई.ओ./निदेशक, एन.ए.बी.एल	सदस्य
xiv.	निदेशक, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि. (आ.ई.एक्स.)	सदस्य
xv.	श्री. के. रामानाथन, प्रख्यात फैलो, टी.ई.आर.आई	सदस्य
xvi.	डॉ. सतीश कुमार, अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि (ए.ई.ई.ई.)	सदस्य
xvii.	डॉ. प्रदीपकुमार, अ-11, केवल पार्क, भगत सिंह मार्ग, आज़ादपुर, दिल्ली - 110033	सदस्य
xviii.	डॉ. अनूप सिंह, समन्वयक, सेंटर फॉर एनर्जी रेगुलेशन (सीईआर), औद्योगिक और प्रबंधन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी-कानपुर	सदस्य
xix.	श्री. जोगिंदर सिंह लाथेर, श्रम विभाग	सदस्य
xx.	श्री. एस. एस. चौहान, उपायुक्त (संचालन), परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	सदस्य
xxi.	डॉ. तपन कुमार खुरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि इंजीनियरिंग विभाग निदेशक, आईसीएआर - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	सदस्य

- यदि किसी सदस्य द्वारा अपने संगठन को छोड़ने के कारण कोई रिक्ति होती है तो वह रिक्ति संबंधित संगठन के प्रमुख द्वारा नामित उसके उत्तराधिकारी द्वारा भरी जाएगी।
- राज्य सलाहकार समिति के उद्देश्य आयोग को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है:
  - नीति सम्बन्धी मुख्यप्रश्न,
  - अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता, और विस्तार के संबंधित विषय,
  - अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा अपेक्षाओं का अनुपालन,
  - उपभोक्ता का हित संरक्षण, और

- (ड) यूटिलिटी द्वारा विद्युत आपूर्ति और समग्र कार्य निष्पादन के मानदण्ड ।
4. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति की बैठक जब कभी भी उपयुक्त पैरा 3 में सूचीबद्ध विषय (विषयों) पर समिति की सलाह आवश्यक हो, बुलाई जाएगी ।
  5. राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित संगठनों के अतिरिक्त, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, विशेष आमंत्रिती के रूप में राज्य सलाहकार समिति की किसी अन्य संगठन/विशेषज्ञ/व्यक्ति को विशेष अतिथि के रूप में सहयोजित कर सकता है ।
  6. आयोग उचित समझने पर, जब भी चाहे समिति का पुनगठन कर सकता है ।

सुकेश वाधवा, सचिव

**DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd July, 2020

**Subject: Re-constitution of the State Advisory Committee.**

**No. F.7(37)/DERC/DS/2016-19/Vol.V/C.F.No.5624/253.**—In supersession of the notification No.F.7(37)/ DERC/DS/2016-17/Vol.V/C.F.No.5624/2927 dated 22 March, 2018 and in exercise of the powers conferred under Section 87 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) hereby re-constitutes the “State Advisory Committee” for National Capital Territory of Delhi, consisting following members for a period of three years from the date of notification:-

i.	Chairman, Delhi Electricity Regulatory Commission	Ex-officio-Chairman
ii.	Member, Delhi Electricity Regulatory Commission	Ex-officio-Member
iii.	Member, Delhi Electricity Regulatory Commission	Ex-officio-Member
iv.	The Secretary (Power), GoNCTD	Ex- officio-Member
v.	The Secretary-cum-Commissioner, Department of Food Supplies & Consumer Affairs, GoNCTD	Ex- officio-Member
vi.	Director (Electrical), DMRC	Member
vii.	Dr. R.K. Bajaj, SC-G & DDG (Stdn.) Director General Bureau of Indian Standards	Member
viii.	Chief Engineer (Electrical), MCD in rotation alternately.	Member
ix.	Sh. ArunTripathi Director General National Institute of Solar Energy	Member
x.	Director General or his representative Bureau of Energy Efficiency (BEE)	Member
xi.	Dr. G.C. Datta Roy, Advisor, Development Environenergy Services Ltd. (DESL)	Member
xii.	Chief Engineer, Central Electricity Authority or his representative	Member
xiii.	CEO / Director, NABL	Member
xiv.	Director, Indian Energy Exchange Ltd. (IEX)	Member
xv.	Sh. K. Ramanathan, Distinguish Fellow, TERI	Member

xvi.	Dr. Satish Kumar, Chairman or his representative Alliance of Energy Efficient Economy (AEEE)	Member
xvii.	Dr. Pardeep Kumar A-11, Kewal Park, Bhagat Singh Marg Azadpur, Delhi – 110033	Member
xviii.	Dr. Anoop Singh, Coordinator, Centre for Energy Regulation (CER), Dept of Industrial and Management Engineering, IIT-Kanpur	Member
xix.	Sh. Jogender Singh Lather Labour Department	Member
xx.	Sh. S.S. Chauhan Deputy Commissioner (Operations) Transport Department, Govt of NCT of Delhi	Member
xxi.	Dr. Tapan Kumar Khura Sr. Scientist, Div. of Agricultural Engineering Director, ICAR – Indian Agricultural Research Institute	Member

2. The vacancy that would arise on account of any member leaving his organization would be filled up by a member, nominated by the Head of the respective organization.
3. The objects of State Advisory Committee are to advise the Commission on the following issues:-
  - (a) Major questions of policy;
  - (b) Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
  - (c) Compliance by licensees with the conditions and requirements of their license;
  - (d) Protection of consumer interest; and
  - (e) Electricity supply and overall standards of performance by utilities.
4. The meeting of the State Advisory Committee shall be convened by the DERC as and when the advice of the Committee is solicited on the issue(s) listed at para 3 above.
5. In addition to the organization included in the State Advisory Committee, Commission may co-opt any other organization / expert / individual for any of the meeting of the State Advisory Committee, as a special invitee.
6. The Commission may re-constitute the Committee at any time as it may deem fit.

MUKESH WADHWA, Secy.